N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0193 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/09/2024 20:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day(दिन): दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:20 बजे **Time To (समय तक):** 15:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2024 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/09/2024 20:42:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BALAJI SONI HOSPITAL CHORAHE, KE PAS BAGRU

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MEELBORN

(b) Father's Name (पिता का नाम): R.U.OSWAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 19, BHAGWAN DAS ROAD, C SCHEME JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 19, BHAGWAN DAS ROAD, C SCHEME JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARMENDERA KUMAR SHARMA		पिता:RADHAKISHAN SHARMA	1. 2/211,GUPTESHWAR ROAD,RAJSTHAN HOUSING BOARD,DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

दिनांक 03.09.2024 को परिवादी श्री मिलबोर्न पुत्र श्री आर.यू. ओसवाल, उम्र 55 साल निवासी सी-19, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर मो0नं0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया गया था कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर ग्रामीण, जयपुर। विषयः रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मेरी फैक्टरी मिलबोर्न स्वीचगियर्स प्रा.लि. के नाम से बगरू Ind. Area E-156 Ext-2 है। दिनांक 30-8-24 की रात मेरी फेक्टरी मे आग लग गई जिसकी सूचना मेरी फेक्टरी के गार्ड ने मुझे mobile पर दि। जिस पर मै जयपुर निवास स्थान से रवाना होकर बगरू फेक्टरी पर पहूंचा जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी एवं पुलिस की गाड़ी सूचना मिलने पर मोजूद थी। इस आगजनी की घटना से मेरी फेक्टरी में नुकसान हो गया। जिस पर दिनांक 03-9-24 को फायर आफिसर D.K. Sharma मेरी फेक्टरी पर आया ओर वहां मौजुद कर्मचारी से बोला कि फेक्टरी का मालिक कहा है मेरी बात करवाओं तो हमारी फेक्टरी के कर्मचारी ने फैक्टरी के मोबाईल से D.K. Sharma से मेरी बात करवाई तो मैंने उनसे मेरी फेकटरी मे हुई आगजनी की घटना का प्रमाण पत्र चाहने बाबत अवगत कराया तो D.K. Sharma ने मुझे धमकाते हुये कहा की तुरंत मेरे से आकर मिलो नही तो आपकी factory Seal कर दूंगा और आपको भी पता है कि फायर प्रमाण पत्र केसे मिलाता है। मुझे पुरा विश्वास है की जब मे D.K. Sharma से मिलने जाउंगा तब वह मेरी फेक्टरी मे हुई आगजनी की घटना का फायर प्रमाण पत्र जारी करने की एवज मे रिश्वत की मांग करेगा। मे मैरे जायज काम की एवज मे उसे D.K. Sharma को रिश्वत नही देना चाहता हु और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हू। अतः मेरी Report पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी/- मिलबोर्न S/o R.U. Oswal 55 Years निवासी C-19, Bhagwan Das Road, Jaipur-302001 Date 3-9-2024 " जिस पर दिनांक 03-9-2024 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू, जिला जयपुर द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वत की माग की गई। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 04-9-2024 स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल कुमार शर्मा एवं श्री रविन्द्र कुमार महावर की उपस्थित में परिवादी श्री मिलबोर्न को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री मिलबोर्न ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये प्रस्तुत किए। जिन पर श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर नोटो पर लगवाया जाकर परिवादी के बदन पर पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे रखवाए गए। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बानेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 4-9-2024 को समय 2.00 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग मय जाप्ता, श्री चांदमल स.उ.नि श्री होशियार कानि0, श्री वीरन्द्र सिंह कानि. श्रीमति रजनी म.कानि. मय स्वतंत्र गवाहान राहुल कुमार शर्मा व रविन्द्र कुमार महावर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक श्री रोहिताश कानि.चालक 636 वाहन न0 आर0जे0 14 पीई 9166 व रमेश चालक वाहन न0 आर0जे014 यूएच 4774 के वाहन से तथा परिवादी श्री मिलबोर्न को उसकी निजी कार से मय श्री ओमप्रकाश है. कानि. 133 श्री देवेन्द्र सिंह कानि नं0 68, तथा रिजवान ह. कानि. के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 4.15 पीएम पर परिवादी की फैक्ट्री के आस पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। परिवादी की आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी की वाट्सअप पर मिलने संबंधित वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने व्यस्त होने के कारण आज नही आना बताया जिस पर ट्रेप कार्यवाही आयन्दा करने का निर्णय लेते हुए मौके से समय 5.45 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 8.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी को पुर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 50,000/- रूपये जो ट्रेप कार्यवाही नही होने के कारण लिफाफे में रखी गई थी को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। दिनांक 05-9-2024 स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मिलबोर्न के उपस्थित आ चुके है। परिवादी की आरोपी के मोबाईल फोन पर वाअ०सअप कॉल करवाया गया तो आरोपी ने फैक्ट्री पर आने के लिए कहा जिस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही की गई। दिनांक 5-9-2024 को समय 1.20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मिलबोर्न द्वारा दिनांक 04.09.2024 को प्रस्तुत रिश्वती राशि 50000/- रूपये जो कार्यवाही नही होने के कारण एक लिफाफे मे रखकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई

थी, जिसको उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष इन्टे शाखा से तलब शुदा श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से निकलवाई जाकर रिश्वती राशि 50000/- रूपये का लिफाफा निकलवाया जाकर रिश्वत राशि को दिनांक 04.09.2024 को तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से मिलान होने पर रिश्वती राशि 50,000/- रूपये जिनमे पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट है, उक्त रिश्वती राशि पर हल्का-हल्का फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राहुल कुमार शर्मा से लिवाई गई तो परिवादी के पास एक पर्स मिला है जिसमें 2720 रूपये दो मोबाईल मिले है जिसे परिवादी के पास छोड़े गये। उक्त फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 50000/- रूपये के नोटो को परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से रखवाए गए। जिसकी फर्द सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 5.9.2024 को समय 1.45 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग मय जाप्ता, श्री चांदमल स.उ.नि, श्री वीरन्द्र सिंह कानि. श्रीमति रजनी म.कानि. मय स्वतंत्र गवाहान राहुल कुमार शर्मा व रविन्द्र कुमार महावर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक श्री रोहिताश कानि.चालक 636 वाहन न0 आर0जे0 14 पीई 9166 व रमेश चालक वाहन न0 आर0जे014 यूएच 4774 के वाहन से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री मिलबोर्न को उसकी निजी कार से मय श्री ओमप्रकाश है. कानि. 133 श्री देवेन्द्र सिंह कानि नं0 68, तथा रिजवान ह. कानि. के रवाना होकर परिवादी की फेक्ट्री व आरोपी के बताये अनुसार बालाजी सोनी अस्पताल चौराहे के आस पास ट्रेप जाल बिछाया गया। समय करीब 3.35 पीएम पर बालाजी सोनी होस्पीटल के पास स्थित चौराहे के पास परिवादी श्री मिलबोर्न की गाड़ी एमजी हेक्टर में से परिवादी एवं एक व्यक्ति वर्दी पहुने हुए उतरा ओर वर्दी पहना व्यक्ति परिवादी की गाड़ी के आगे खड़ी बोलेरो गाड़ी की तरफ जाने लगा तो परिवादी श्री मिलबोर्न पुत्र श्री आर.यू. ओसवाल निवासी सी-19, भगवान दास रोड़ जयपुर ने अपने सिर हाथ फेर कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही परिवादी की गाड़ी में चालक के रूप में तैनात श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 ने वर्दी पहने हुए व्यक्ति को रोक लिया तो उसने अपनी जेब से एक पेकेट निकाल कर रोड़ पर फेक दिया। इतने में ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के परिवादी की गाड़ी पास पहूंचे तथा परिवादी से पूर्व में सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने देवेन्द्र सिंह कानि0 68 द्वारा रोके गए व्यक्ति जिसने वर्दी पहन रखी है जिसकी तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री डी.के. शर्मा फायर ऑफिसर बगरू है। जिस पर उक्त वर्दी पहने व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उक्त वर्दीधारी से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा, उम्र 32 साल निवासी 2/211 राजस्थान हाउंसिग बोर्ड, गुप्तेश्वर रोड़ दौसा हाल निवास फलेट नं0 611, ए0वी0एम0 सेज, पारली परसा हाल अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू, जिला जयपुर होना बताया। परिवादी ने बताया कि मै इनके बुलाये अनुसार बालाजी सोनी अस्पताल के सामने पहूंचा जहां पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे थोड़ी दूरी पर नजर आयी। जिस पर मै मेरी गाड़ी से बालाजी सोनी अस्पताल चौराहे के पास महेन्द्रा सेज की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ डी.के. शर्मा फायर ऑफिसर की गाड़ी रूकी हुई थी जिसके पीछे मैने मेरी गाड़ी रोक दी और मैने श्री डी.के. शर्मा को वाट्सअप कॉल किया और मेरी गाड़ी में बुलाया तथा आपके विभाग के देवेन्द्र सिंह जो मेरी गाड़ी चला रहे थे को गाड़ी से बाहर भेज दिया और श्री डी.के. शर्मा फायर ऑफिसर मेरी गाड़ी मे आकर मेरे पास बराबर की सीट पर बैठ गये और मेरे से कहा कि आप एप्लीकेशन लाये हो क्या तब मैने एप्लीकेशन नही लाने का कहा इस पर श्री डी.के. शर्मा फायर ऑफिसर मेरी गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी मे गया और कुछ कागजात लेकर आकर वापस मेरी गाड़ी मे बराबर की सीट पर बैठ गये और मुझे कागज दिखाते हुए कहा कि यहां पर अधिकारी के हस्ताक्षर होने है। इस पर मेने कहा कि इस पर आपके साईन नही चलेगे क्या, फिर इन्होने कहा कि मेरे साईन नही चलेगे मै इस पर साईन करवा दूंगा, फिर मैने इनको कहा कि मै इसको पढ़ लू तो इन्होने कहा कि हां पढ़ लो फिर इन्होने कहा कि आपने इसमे तारीख गलत कर रखी है क्योकि उस रात को एक बजकर चालीस मिनट हो गई थी इसलिए तारीख बदल गई थी और इक्कतीस हो गई थी। फिर मैने डी.के. शर्मा को फायर सर्टिफिकेट के लिए कहा कि तो श्री डी.के. शर्मा ने एक कागज दिखाते हुए कहा कि ये तो ये रहा, फिर मैने डी.के. शर्मा को एनओसी के लिए कहा तो उन्होने कहा कि एन.ओ.सी. के लिए तो आपको अलग से एप्लाई करने पड़ेगा जिसका ऑनलाईन प्रोसेस होता है तब मैने डी.के. शर्मा को कहा कि उसमे इसमे शामिल है क्या तो इन्होने कहा कि यह तो बाद की प्रोसेस है और मैने आपका फायर के संबंध मे तो बिल्कुल ओके बना दिया है और इसमे मैने आपकी मशीन, कच्चा माल के बारे मे भी लिख दिया है तत्पश्चात् मैने डी.के. शर्मा जी को मेरे द्वारा लाये गये रिश्वत के रूपयो के बारे मे अवगत कराया तो श्री डी.के. शर्मा ने कहा कि आप किसी थर्ड जगह उपलब्ध करवा देना इतने मे ही श्री डी.के. शर्मा को मेरी गाड़ी की सीट के पीछे की जेब मे एक कागज का छोटा केरी बैग दिख गया तो डी.के. शर्मा ने रिश्वती राशि उसमे रखने का ईशारा किया जिस पर मैने कागज के केरी बैग मे रिश्वती राशि रखकर डी.के. शर्मा को दी ओर कहा कि देख लो, हाथ फेर के और चाहो तो चैक कर लो तो श्री डी. के. शर्मा ने कहा कि कोई दिक्कत नही है और केरी बैग मे रखी रिश्वती राशि ओर स्वयं द्वारा लाये गये कागजो को साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतर गये और मै भी गाड़ी से नीचे उतर गया और आपको ईशारा कर दिया और आपके पास पहूंचने पर आपकी ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री देवेन्द्र जी ने श्री डी.के. शर्मा को पकड़ लिया इतने मे श्री डी.के. शर्मा ने अपने हाथ से केरी बैग

सहित रिश्वती राशि को परिवादी की गाड़ी के पीछे की तरफ रोड़ पर फैक दिया। इस पर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 50000/- रूपये के बारे मे पूछताछ की गई तो श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी ने बताया कि मै श्री मिलबोर्न जी को जानता हूं इनकी बगरू में मिलर्बोन नाम से एक फैक्ट्री हे जिसमें दिनांक 30,31-8-2024 की रात्रि को आगजनी हो गई थी जिस पर हमारे विभाग से अग्निमशन वाहन मय जाप्ता गये थे जिन्होने आग पर काबू पाया था। मै इनकी फैक्ट्री पर दिनांक 3-9-2024 को गया तो इनके कर्मचारी के मोबाईल से मैने श्री मिलर्बोन से वार्ता की थी तब मैने इनसे फायर सेफ्टी संशाधन लगाने एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन की पालना करते हुए फायर एनओसी प्राप्त करने हेतु कहा था तब इन्होने मुझे कहा था कि मै बाहर हूं मै आपसे आकर मिलता हूं तब यह दिनांक 3-9-2024 को अपने फैक्ट्री पर आए तब इन्होने मुझे फैक्ट्री पर बुलाया और कहा कि आप मेरी फैक्ट्री की आगजनी की सही रिपोर्ट बना कर दे दो और मुझे इन्होने एक एप्लीकेशन दी जिस पर मैने इनको उक्त एप्लीकेशन को ई.ओ. साहब के नाम से करक्ट कर देने हेतु कहा था और कहा था कि आप मुझे ये एप्लीकेशन दे देना और यह मुझे बार-बार पैसे देने की कहने लगे। इसके बाद दिनांक 4-9-2024 को भी इन्होने मुझे वाट्सअप कॉल कर अपनी फैक्ट्री पर बुलाया था परन्तु मुझे समय नही मिलने के कारण मै कल नही आ सका। आज भी इनके द्वारा बार-बार मुझे कॉल करके अपनी फैक्ट्री मै बुलाया था परन्तु मुझे समय नही होने कारण मै इनकी फैक्ट्री पर नही गया तब इन्होने मुझे वाट्सअप कॉल करके कहा कि साहब मै कही निकलूंगा आप मुझसे एक बार मिल लो इस पर मैने इनको कहां कि मै बालाजी सोनी अस्पताल के पास से निकलूंगा तो आप वहां पर आकर मिल लेना। इस पर श्री मिलर्बोन जी बालाजी सोनी अस्पताल चौराहे पर आए तब इन्होने मुझे वाट्सअप कॉल कर अपनी गाड़ी में बुलाया था जिस पर मै मेरी सरकारी गाड़ी बोलेरो से उतरकर इनकी गाड़ी मे बैठ गया था। तब मैने इनसे एप्लीकेशन लाने के बारे मे पूछा था तब इन्होने मना कर दिया था तब मै वापस मेरी सरकारी बोलेरो मे जाकर इनके द्वारा पूर्व में दी गई एप्लीकेशन से संबंधित नोटशीट की पत्रावली लेकर वापस आकर इनकी गाड़ी मे आया और इस संबंध में इनको विस्तार से समझाया उसके बाद श्री मिलर्बोन मेरे द्वारा लाई गई पत्रावली के साथ ही एक कागज का लिफाफा मुझे पकड़ाया मै कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह अपनी गाड़ी से जल्दबाजी मे उतर गये इनके उतरने के कारण मै भी इनसे बात करने हेतु इनकी गाड़ी से उतरा इतने मे ही आपके विभाग के कर्मचारी ने मुझे पकड़ लिया था। मैने इनसे कोई रिश्वत नही ली है इन्होने अपनी मर्जी से बिना मेरे संज्ञान मे लाए ही एक कागज का लिफाफा मेरी पत्रावली के साथ दिया था। इस पर पास खड़े परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है इनसे मै दिनांक 3-9-2024 को मेरी फैक्टी मे मिला था तब इन्होने मेरे से फायर एनओसी के लिए एक लाख रूप्ये रिश्वत के मांगे थे मेरे निवेदन करने पर 50000/- रूप्ये की रिश्वत लेने पर राजी हुए थे और उसी के क्रम में आज इन्होने चालाकी बरतते हुए गाड़ी मे रखे हुए कागज के केरी बैग मे मेरे से रिश्वती राशि के 50,000/- रूप्ये रखवा कर प्राप्त की है और आपकी टीम को आता देख रिश्वती राशि को केरी बैग समेत फेंक दिया और इनसे पास मेरे कार्य से संबंधित दस्तावेज भी है। इस पर नियमानुसार मौके की वीडियोग्राफी करवाकर बालाजी सोनी अस्पताल चौराहे के पास सड़क पर पत्रावली व एक केरी बैग जिसमें एक नोटो की गड्डी रखी हुई है। पत्रावली को स्वतंत्र गवाह रविन्द्र कुमार एवं केरी बैग जिसमें एक नोटो की गड्डी रखी हुई है को स्वतंत्र गवाह श्री राहुल कुमार शर्मा से उठवाए गए। उक्त केरी बैग जिस पर अंग्रेजी में JETSETTER का स्टीकर चिपका हुआ है जिसमें पांच पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी रखी हुई है को दोनो स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये मिले है। जिनका मिलान दिनांक 4-9-2024 को बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। पत्रावली रविन्द्र कुमार के पास व नोटो सहित केरी बैग को स्वतंत्र गवाह राहुल कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाए गए। मौके पर आम रास्ता होने के कारण आस पास कोई लिखापढ़ी की माकुल जगह उपलब्ध नही होने के कारण व आस पास फैक्ट्री ऐरिया होने के कारण लोगो की भीड़ इक्कठा हो जाने के कारण पुलिस थाना बगरू पर पहूंचकर लिखापढ़ी करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को साथ लेते हुए तथा सरकारी वाहनो व परिवादी के वाहन व श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के सरकारी वाहन सहित मौके से समय करीब 3.46 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 4.05 पीएम पर पुलिस थाना बगरू पर पहूंचा तथा श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को हमराह लेकर थानाधिकारी कक्ष में पहूंचे। चूंकि आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी ने परिवादी से रिश्वती राशि परिवादी की गाड़ी मे रखे हुए कागज के केरी बैग मे रखवाया गया है तथा ट्रेप पार्टी को आते देख रिश्वती राशि का कागज के केरी बैग सहित सड़क पर फेंक दिया जिसके धोवन मे रंग आने की संम्भावना क्षीण है। ऐसी सूरत में अंदेशा है कि आरोपी ने रिश्वती राशि जो केरी बैग मे रखवाई गयी है उसके नोटो को आरोपी ने छुआ हो अथवा अपनी पहनी हुई पेंट की जेब मे रखा हो ऐसी सूरत में आरोपी के हाथो तथा पहने हुई वर्दी की पेंट का धोवन लेने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमे थाने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निमशन प्रभारी नगर पालिका बगरू के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया जाकर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास

को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमें प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निमशन प्रभारी नगर पालिका बगरू के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया जाकर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात् श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी नगर पालिका बगरू ने रिश्वती राशि का केरी बैग अपनी पेंट की जेब से निकालकर फेंका गया था इस पर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा से केरी बैग पेंट की किस जेब मे रखा था तो श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मैने कोई रिश्वती राशि केरी बैग अपनी पेंट की जेब मे नही रखा था परन्तु परिवादी द्वारा बताया गया था कि इन्होने रिश्वती राशि का केरी बैग अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की जेब मे रखा था। जिस पर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा पहनी गई वर्दी की पेंट की दोनो जेबो का धोवन लिए जाने का निर्णय लिया गया। इस पर बाजार से श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के लिए टीशर्ट व लोवर मंगवाया जाकर बदन पर पहनी हुई वर्दी को उतरवाकर टीशर्ट लोवर पहनने को दिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निमशन प्रभारी नगर पालिका बगरू के बदन से उतरवाई गई वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया जाकर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क पीआर-1, पीआर-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निमशन प्रभारी नगर पालिका बगरू के बदन से उतरवाई गई वर्दी की पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया जाकर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क पीएल-1, पीएल-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी के बदन से उतरवाई गई पेंट की दोनो जेबो को सुखवाकर जेबो पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली रखकर सिल चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतोर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इस समय स्वतंत्र गवाह श्री राहुल कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया रिश्वती राशि रखा हुआ केरी बैग को प्राप्त कर केरी बैग मे रखी रिश्वती राशि का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी पुनः मिलान करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये हूबही वही नम्बरी होना पाए गए। उक्त 50,000/- रूपये एवं केरी बैग जिस पर अंग्रेजी में JETSETTER का स्टीकर लगा हुआ है को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। वक्त लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रिश्वत मांग दिनांक 3-9-2024 एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व दिनांक 4-9-2024 को मोबाईल पर हुई वाट्सअप कॉल एवं रिश्वत लेन देन दिनांक 5-9-2024 को जरिये वाट्सअप काल एवं आमने सामने हुई वार्ता की वाईस क्लिप की सीडी तैयार की गई। परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी के पास वक्त ट्रेप कार्यवाही मिलने पर उन्हे जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया। अब तक की कार्यवाही से श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा, उम्र 32 साल निवासी 2/211 राजस्थान हाउंसिग बोर्ड, गुप्तेश्वर रोड़ दौसा हाल निवास फलेट नं0 611, ए0वी0एम0 सेज, पारली परसा हाल अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू, जिला जयपुर ने परिवादी श्री मिलबोर्न पुत्र श्री आर.यू. ओसवाल निवासी सी-19, भगवान दास रोड़ जयपुर की बगरू स्थित मिलबोर्न स्वीचगियर्स प्रा0लि0 के नाम से फैक्ट्री है जिसमें दिनांक 30-8-2024 की रात्रि को आग लग जाने के कारण फैक्ट्री मे नुकसान हो गया था। दिनांक 3-9-24 को बगरू नगर पालिका फायर इंचार्ज श्री डी.के. शर्मा (धर्मेन्द्र कुमार शर्मा) ने परिवादी की फैक्ट्री पर आकर मोबाईल फोन के माध्यम से फैक्ट्री को सीज करने की धमकी दी व बताया कि फायर प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। जिस पर दिनांक 3-9-2024 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो 50000/- रूपये की मांग करने पर आज दिनांक 5-9-2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री मिलबोर्न द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वती राशि देने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चालाकी बरतते हुए परिवादी की गाड़ी में रखा हुआ एक कागज का केरी बेग निकालकर उसमें रखने का ईशारा कर रिश्वती राशि 50,000/- रूपये कागज के केरी बैग में रखवाए जाकर प्राप्त किए गए तथा एसीबी द्वारा पकड़े जाने पर रिश्वती राशि का केरी बैग सहित बाहर सड़क पर फेंक दिया। रिश्वती राशि 50,000/रूपये तथा कागज का केरी बैग सड़क से बरामद होने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अग्निशमन प्रभारी नगर पालिका बगरू का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा,

उम्र 32 साल निवासी 2/211 राजस्थान हाउंसिग बोर्ड, गुप्तेश्वर रोड़ दौसा हाल निवास फलेट नं0 611, ए0वी0एम0 सेज, पारली परसा हाल अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू, जिला जयपुर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बरामदगी स्थग तथा आरोपी के दोनो हाथो व पेंट की दोनो जेबो के धोवन लेने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी से संबंधित मेमोरी कार्ड की पृथक से डीवीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड को पृथक से जप्त किया गया। अतः श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा, उम्र 32 साल निवासी 2/211 राजस्थान हाउंसिग बोर्ड, गुप्तेश्वर रोड़ दौसा हाल निवास फलेट नं0 611, ए0वी0एम0 सेज, पारली परसा हाल अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू, जिला जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1.श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा उम्र 32 साल निवासी 02/211 राजस्थान हाउंसिग बोर्ड गुप्तेश्वर रोड़ दौसा हाल निवास फलेट नं0 611, ए0वी0एम0 सेज पारली परसा हाल अग्निशमन प्रभारी, नगर पालिका बगरू जिला जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 99 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1043-46 दिनांक 06.09.2024 प्रतिलिपिः. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र0सं0 1 जयपुर। 2 नगर पालिका बोर्ड बगरू जयपुर। 3 श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/05/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)